

# वैय सहायता नीत

## ASCENSION HEALTH

### उद्देश्य

इस नीत का उद्देश्य ASCENSION Health प्रणाल म वैय सहायता प्रदान करने के लए आवश्यकताएँ उल्लखत करना है।

### नीत

इस पैराग्राफ के नीचे सूचीबद्ध संगठन (िजनम से प्रत्येक "संगठन" है) क नीत है क वे संगठन के पसर म आपातकालन और चकत्सीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल प्रदान करने हेतु सामािजक रूप से न्यायोचत कार्याल सुनिश्चत करगे। इस नीत को खासतौर पर ऐसे मरज़ क वैय सहायता क पात्रता को संबोधत करने के लए ढाया है िजन्ह वैय सहायता क आवश्यकता हो और िजन्ह संगठन से देखभाल प्राप्त होती हो।

यह नीत ASCENSION Health के अंतर्गत नम्र म से प्रत्येक संगठन पर लागू होती है:

Alexian Brothers Behavioral Health Hospital

Alexian Brothers Medical Center - Elk Grove

Saint Joseph Hospital - Chicago

St. Alexius Medical Center - Hoffman Estates

प्रयुक्त चकत्सा उपाय

- सार वैय सहायता व्क्तिगत मानव गरमा और सबक भलाई के प्रत हमार प्रतबद्धता और आदर, मीम रहने वाले लोग और अन्य कमज़ोर व्क्तय के लए हमार विशेष चंता और एकजुटता, और वतरणात्मक न्याय और नेतृत्व के प्रत हमार प्रतबद्धता को दशाएगी।
- यह नीत संगठन द्वारा प्रद सभी आपातकालन और चकत्सीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल पर लागू होती है, िजसम प्रयुक्त चकत्सीय सेवाएं और व्यवहारात्मक स्वास्थ्य शांमल है। यह नीत गैर आपातकालन और चकत्सीय रूप से गैर आवश्यक अन्य देखभाल के शुल्क पर लागू नहं होती।
- वैय सहायता नीत द्वारा शांमल कए गए प्रदाता क सूची संगठन क सुवधाओं के भीतर देखभाल प्रदाताओं क एक सूची प्रदान करती है जो क नदृ करती है क कन चीज़ को वैय सहायता नीत के द्वारा कवर कया जाता है और कन्ह नहं।

# परभाषाएं

## नीत-वशष्ट परभाषाएं

- A. "501(r)" का मतलब इंटरनल रेवेन्यू कोड (Internal Revenue Code) क धारा 501(r) और उसके अधीन प्रकाशत कये गये नयम।
- B. आपातकालन और चकत्सीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल के संबंध म "आमतौर पर बल क गई राश" या "AGB" का तात्पर्य ऐसे देखभाल को कवर करने वाले बीमा युक्त कसी व्यक्ति को आमतौर पर बल क गई राश से है।
- C. "समुदाय" का तात्पर्य इलनॉय राज्य से है। इस नीत के उद्देश के लए "समुदाय म रहना" का तात्पर्य है इलनॉय का नवासी- एक ऐसा व्यक्ति जो इलनॉय म रहता है और अनिश्चित काल तक इलनॉय म रहना चाहता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति नहं जो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लए इलनॉय म स्थानांतरत हुआ हो। मरज को तब भी संगठन के समुदाय का सदस्य माना जाएगा, यद मरज को उसके लए जरूर आपातकालन और चकत्सीय रूप से आवश्यक देखभाल ASCENSION Health क अन्य स्वास्थ्य फैसलट म उसे प्राप्त होने वाल आपातकालन और चकत्सीय रूप से आवश्यक देखभाल क नरन्तरता म प्रदान क जा रह हो, और जहाँ मरज को इस प्रकार व आपातकालन और चकत्सीय रूप से आवश्यक देखभाल के लए वीय सहायता हेतु पात्र माना गया हो।
- D. "आपातकालन देखभाल" का तात्पर्य पर्याप्त गंभीरता (जिसम गंभीर वेदना शामिल है) के तीव्र लण के रूप म प्रकट ऐसी चकत्सीय स्थित क देखभाल से है जिसका तुरंत इलाज ना कए जाने पर उस व्यक्ति के शर के कायर् को गंभीर नुकसान पहुँच सकता है, उसके कसी भी शरक अंग या भाग के कायर् को गंभीर रूप से नुकसान हो सकता है, या उस व्यक्ति के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है।
- E. "चकत्सीय रूप से आवश्यक देखभाल" का तात्पर्य ऐसी देखभाल से है जो (1) मरज क स्थित के उपयुक्त और उसके सुसंगत हो और उसक रोकथाम, नदान, या इलाज के लए आवश्यक हो; (2) मरज क स्थित के लए सबसे उचित आपूर्तया सेवा का स्तर जिसे सुरत रूप से प्रदान कया जा सके; (3) जिसे प्राथमक रूप से मरज, मरज के परवर, चकत्सक या देखभालकर्ता क सुवधा के लए प्रदान नहं कया गया हो; और (4) जिससे मरज को नुकसान के बजाय संभावत रूप से लाभ ह होता है। भवष्य क नधारत देखभाल को "चकत्सीय रूप से आवश्यक देखभाल" नयत कए जाने के लए उस देखभाल को और देखभाल के समय को संगठन के मुख्य चकत्सा अधकार (या पदनामत व्यक्ति) द्वारा अनुमोदत कया जाना चाहए। चकत्सीय रूप से आवश्यक देखभाल का नधारण मरज को चकत्सीय देखभाल प्रदान करने वाले लाइसंसधार प्रदाता द्वारा और, संगठन के स्वववेक के आधार पर, भत करने वाले चकत्सक द्वारा, रफर करने वाले चकत्सक द्वारा, और/या मुख्य चकत्सा अधकार या समीा करने वाले अन्य चकत्सक द्वारा (सुझाई जा रह देखभाल के प्रकार के अनुसार) कया जाना चाहए। यद उस देखभाल का नवेदन इस नीत द्वारा शामिल कए गए मरज द्वारा कया गया है, उसे कसी समीा करने वाले चकत्सक द्वारा चकत्सीय रूप से आवश्यक नधारत नहं कया गया है, तो उस नधारण क पुष्टि दाखल के वाले अथवा रफर करने वाले चकत्सक द्वारा क जानी आवश्यक है।
- F. "संगठन" का तात्पर्य ASCENSION Health और उन संस्थाओं से है जिन्ह ऊपर खंड II म बताए अनुसार इस वीय सहायता नीत म शामिल कया गया हो।
- G. "मरज" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिन्ह संगठन म आपातकालन और चकत्सीय रूप से आवश्यक अन्य

देखभाल प्राप्त हो रह हो और ऐसे व्यक्ति से है जो मरुज क देखभाल के लिए वीय रूप से जिम्मेदार

H. "प्रकल्पित स्कोरंग" का तात्पर्य जानकार के तृतीय प की स्तोत के उपयोग से है, जिसम व वीय सहायता के लिए मरुज क पात्रता का आंकलन करने हेतु सार्वजनिक रकॉर्ड्स, या अन्य वस्तुनष्ठ और उचित रूप से सटक शांमल हो सकते ह।

I. "अबीमाकृत मरुज" का तात्पर्य ऐसे मरुज से है जो स्वास्थ्य बीमा म शांमल नहं है और जो कसी भी सार्वजनिक या नजी स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य लाभ, या उच्च कटौती योग्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं, कमर्चर मुआवजा, दुर्घटना देयता बीमा सहित अन्य स्वस्थ कवरेज कार्यक्रम, या अन्य तृतीय-प देयता के अंतर्गत लाभार्थ नहं है।

## आवश्यक प्रक्रियाएं

A. इस खंड म वर्णित वीय सहायता समुदाय म रहने वाले मरुज तक सीमत है:

1. संघीय गरबी स्तर आय ("FPL") के 250% से कम या इसके बराबर क आय वाले मरुज बीमाकर्ता द्वारा भुगतान करने के बाद सेवाओं के स्वयं द्वारा भुगतान कए जाने वाले बकाया शुल्क, यद कोई हो तो, के लिए 100% छूट के पात्र हगे, यद ऐसे मरुज को प्रकल्पित स्कोरंग (जिसका वर्णन नीचे पैराग्राफ 5 म कया गया है) के अनुसार पात्र नधाररत कया जाए या यद वह मरुज पहले डस्चाजर बल के बाद 240व दन या इससे पहले वीय सहायता आवेदन ("आवेदन") जमा करता है और उस आवेदन को संगठन द्वारा अनुमोदत कया जाता है। यद मरुज उसके पहले डस्चाजर बल के 240व दन के बाद आवेदन जमा करता है, तो मरुज अधिकतम 100% वीय सहायता के लिए पात्र रहेगा, लेकिन तब इस श्रेणी म मरुज के लिए उपलब्ध वीय सहायता क राश मरुज द्वारा कए गए कसी भी भुगतान को समायोजित करने के बाद मरुज क अद बकाया राश तक ह सीमत रहेगी। वीय सहायता क इस श्रेणी के लिए पात्र मरुज से गणना कए गए AB शुल्क से ज्यादा शुल्क नहं लया जाएगा।
2. इस वीय सहायता नीत के अन्य प्रावधान के अधीन FPL के 250% से ज्यादा लेकिन FPL के 600% से कम आय वाले अबीमाकृत मरुज को प्रद सेवाओं के शुल्क के उस भाग के लिए स्लाइडंग स्केल छूट मलेगी। FPL के 250% से ज्यादा लेकिन FPL के 400% से कम आय वाले बीमाकृत मरुज को प्रद सेवाओं के लिए स्वयं द्वारा भुगतान कए जाने वाले बकाया शुल्क के भाग पर बीमा योजना के लाभ के ववरण के अनुसार स्लाइडंग स्केल छूट मलेगी। ऐसी छूट मरुज द्वारा मरुज के पहले डस्चाजर बल के बाद 240व दन या इससे पहले वीय सहायता आवेदन जमा कए जाने पर और उस आवेदन को संगठन द्वारा अनुमोदत कए जाने पलागू होगी। यद मरुज उसके पहले डस्चाजर बल के 240व दन के बाद आवेदन जमा करता है, तो मरुज स्लाइडंग स्केल छूट क वीय सहायता के लिए पात्र रहेगा, लेकिन तब इस श्रेणी म मरुज के लिए उपलब्ध वीय सहायता क राश मरुज द्वारा कए गए कसी भी भुगतान को समायोजित करने के बाद मरुज क अद बकाया राश तक ह सीमत रहेगी। वीय सहायता क इस श्रेणी के लिए पात्र मरुज से गणना कए गए AB शुल्क से ज्यादा शुल्क नहं लया जाएगा।

स्लाइडंग स्केल छूट इस प्रकार है: (FPL – संघीय गरबी स्तर आय)

अबीमाकृत मरुज स्लाइडिंग स्केल	%
0% - 250% FPL	100%
251% - 300% FPL	95%
301% - 400% FPL	90%
401% - 600% FPL	85%

बीमाकृत मरुज स्लाइडिंग स्केल	%
0% - 250% FPL	100%
251% - 300% FPL	95%
301% - 400% FPL	90%

- इस वृत्तीय सहायता नीति के अन्य प्रावधान के अधीन FPL के 600% (अबीमाकृत के लिए) और 400% (बीमाकृत के लिए) से ज्यादा आय वाला मरुज, मरुज के कुल वृत्तीय कर्ज के आधार पर संगठन से प्राप्त सेवाओं के लिए मरुज के शुल्क में "जीविका साधन जांच" के अंतर्गत कुछ छूट प्राप्त करने हेतु वृत्तीय सहायता के लिए पात्र हो सकता है। यदि मरुज का कुल वृत्तीय कर्ज बहुत ज्यादा हो, जिसमें आपातकाल और वृत्तीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल हेतु ASCENSION Health और अन्य किसी भी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता का वृत्तीय ऋण शामिल है, जो एक मरुज के परिवार को सकल आय के बराबर या उससे अधिक हो, तो मरुज जीविका साधन जांच के बाद वृत्तीय सहायता के लिए पात्र होगा। मरुज के पहले डेडसाजर् बल के बाद 240 वृत्तीय दिन या इससे पहले आवेदन जमा करने और उस आवेदन को संगठन द्वारा अनुमोदित किए जाने पर जीविका साधन जांच के बाद प्रदत्त वृत्तीय सहायता का स्तर उपरोक्त पैराग्राफ 2 के अंतर्गत FPL के 600% (अबीमाकृत के लिए) और 400% (बीमाकृत के लिए) की आय वाले मरुज के लिए बराबर होता है। यदि मरुज उसके पहले डेडसाजर् बल के 240 वृत्तीय दिन के बाद आवेदन जमा करता है, तो मरुज जीविका साधन छूट के वृत्तीय सहायता के लिए पात्र रहेगा, लेकिन तब इस श्रेणी में मरुज के लिए उपलब्ध वृत्तीय सहायता को मरुज द्वारा किए गए किसी भी भुगतान को समायोजित करने के बाद मरुज को अर्द्ध बकाया राशि तक हटा सीमित रहेगी। वृत्तीय सहायता को इस श्रेणी के लिए पात्र मरुज से गणना किए गए AGB शुल्क से ज्यादा शुल्क नहीं लया जाएगा। इसके अलावा, पैराग्राफ 2 में बताए अनुसार स्लाइडिंग-स्केल छूट के लिए पात्र अबीमाकृत मरुज के लिए, 12-माह की अवधि से ज्यादा की वसूल को अर्द्धरक्त रूप से मरुज के परिवार की आय के 20% तक सीमित किया जाएगा।
- संभवतः मरुज उपरोक्त पैराग्राफ 1 से लेकर 3 में वर्णित वृत्तीय सहायता के लिए पात्र ना हो, यदि "संपर्क जांच" में निर्धारित किया जाए कि ऐसे मरुज के पास भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपर्क है। संपर्क जांच में FAP आवेदन में मापी गई संपर्क की श्रेणियों के आधार पर मरुज को भुगतान करने की क्षमता का विशेष रूप से आंकलन किया जाता है। मरुज, जिसके संपर्क उसके FPL राशि के 600% से अधिक है, वह वृत्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं हो सकता।
- वृत्तीय सहायता के लिए पात्रता राजस्व चक्र के दौरान किसी भी समय निर्धारित की जा सकती है और उसमें 100% चैरिटी देखभाल निर्धारित करने के लिए मरुज के पहले डेडसाजर् बल के बाद पहले 240 वृत्तीय दिनों के भी पर्याप्त बकाया राशि वाले मरुज के लिए प्रकल्पित स्कोरिंग सिमलत हो सकती है, भले ही मरुज ने वृत्तीय सहायता आवेदन ("FAP आवेदन") भरकर जमा ना किया हो। प्रकल्पित स्कोरिंग के आधार पर पात्रता का निर्धारण केवल देखभाल के उन प्रसंग पर ही लागू होता है जिसके लिए प्रकल्पित स्कोरिंग की गई हो।

नम्र में से एक से ज्यादा मानदंड प्रदर्शित करने वाले मरुज को संभावित रूप से 100% चैरिटी देखभाल के लिए पात्र माना जाएगा: बेघर, बनना संपर्क के मृतक, मानसिक रूप से असमर्थ जहाँ मरुज को ओर से कोई न हो, Medicaid पात्रता, लेकिन सेवा की रीति को नहीं या शामिल ना की गई सेवा के लिए, ऐसे दूसरे राज्य में Medicaid नामांकन जहाँ संगठन भागीदार प्रदाता नहीं है और ना ही बनना चाहता है, और Medicaid

सहभागता लेकन ठहरने क कोई भी सीमा समाप्त हो गई हो।

अंतर्गत आतापत श्रेणय म नम्र कार्यक्रम म नामांकन शांमल है: मंहाला, शशु और बाल पोषण क्म (WIC); पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP); इलनॉय मुफ्त लंच और ब्रेकफास्ट कार्यक्रम; कम आय केघर म ऊजार् सहायता कार्यक्रम (LIHEAP); चकत्सीय देखभाल तक पहुँच प्रदान करने वाले कसी व्यविस्थत समुदाय-आधारत कार्यक्रम म नामांकन, जो कम-आय क वीय स्थित के मूल्यांकन और दस्तावेजीकरण को मापदंड मानते ह; और चकत्सीय सेवाओं के लए अनुदान सहायता क प्राप्ता।

6. ऐसे मंज के लए, जो निश्चत बीमा प्लान म भाग लेते ह, जो संगठन को "नेटवर्क-से-बाहर" मानता है, संगठन वीय सहायता को कम कर सकता है अथवा इससे इन्कार कर सकता है, जो मंज क बीमा जानकार और अन्य उपयुक्त तथ्य और परिस्थतय क समीा के आधार पर मंज को अन्य प्रकार से उपलब्ध होगी।
7. मंज अस्वीकरण क सूचना प्राप्त होने के चौदह (14) कैलंडर दन के भीतर संगठन म अंतर्गत जानकार प्रदान करके वीय सहायता के लए पात्रता के कसी भी अस्वीकरण के वरुद्ध अपील कर सकता है। अंतम नधारण के लए संगठन द्वारा सभी अपील क समीा क जाएगी। यद अंतम नर्णय वीय सहायता के पछले अस्वीकरण को स्वीकार करता है, तो मंज को लखत सूचना भेजी जाएगी। मंज और परवार हेतु वीय सहायता के लए पात्रता के संबंध म संगठन के नर्णय के वरुद्ध अपील करने क प्रक्या नमानुसार है:
  - a. प्रयोज्य होने पर अपीले आरंभ म समीा और फॉलो अप प्रश्न के लए मंज वीय सेवाओं को प्राप्त होनी चाहए।
  - b. सभी अपील क समीा मासक आधार पर करने के लए कमत बैठक करेगी। कमत क सस्यम मंज वीय सेवाओं, मशन समाकलन, केस प्रबंधन/सामाजिक सेवाएँ और व/CFD से प्रतनधत्व शांमल होना चाहए।

कमत क मासक बैठक से पहले अपील को समीा के लए कमत के सदस्य म वतर्त म्जाएगा।
  - c. हर मामले क चर्चा करने के लए और मंज द्वारा प्रद अंतर्गत जानकार प्रदान करने के लए मंज वीय सेवाओं के प्रतनध को कमत क बैठक म उपस्थित होना चाहए।
  - d. अपील प्रक्या म आवेदक द्वारा प्रद अंतर्गत जानकार और तथ्य पर वशेष ध्यान देकर क आवेदक के FAP आवेदन क समीा करेगी।
  - e. कमत अपील को अनुमत, नामंजूर या स्थगत कर सकती है। अपील क चर्चा के दौरान पूछे गए प्रश्न के आधार पर अंतर्गत जानकार क आवश्यकता होने पर कमत अपील को स्थगत कर सकती है।
  - f. मंज वीय सेवाएँ मंज या परवार के सदस्य को लखत म अपील के परणाम बताएगी।

## B. वीय सहायता के लए योग्य न होने वाले मंज के लए अन्य सहायता

मंज जो ऊपर वर्णत अनुसार, वीय सहायता के लए योग्य नहं ह, वे संगठन द्वारा द जाने वाल अन्य प्रकार क सहायता के लए योग्य हो सकते ह। पूर्णत के लए, सहायता के इन अन्य प्रकार को यहाँ सूचीबद्ध कया गया है, हालाँक ये आवश्यकता-आधारत नहं ह और ये 501(r) के अधीन नहं ह, लेकन इन्ह संगठन िजस समुदाय केसेवा प्रदान करता है, उसक सुवधा के लए यहाँ शांमल कया गया है।

1. अबीमाकृत मरुज जो वृषीय सहायता के लए योग्य नहं हं उन्ह उस संगठन के लए अधकतम भुगतान करने वाले के लए प्रदान क जाने वाल छूट के आधार पर छूट प्रदान क जाएगी। अधकतम भुगतान करने वाले को मता या सकल राजस्व द्वारा मापी गई संगठन क आबाद का कम से कम 3% होना चाहए। अगर कोई एक भुगतानकर्ता मात्रा के इस न्यूनतम स्तर पर नहं पहुंचता, तो एक से अधक भुगतानकर्ताओं के अनुबंध का इस प्रकार औसत लया जाना चाहए क भुगतान क अवध िसे औसत लेने के लए उपयोग कया जाता है वह उस वर्ष के लए संगठन के व्यापार क मात्रा का कम से कम 3% हो।
2. वृषीय सहायता के लए अयोग्य अबीमाकृत और बीमाकृत मरुज को तत्काल भुगतान पर छूट मल सकती है। तत्काल भुगतान पर छूट को ठक पहले पैराग्राफ म वर्णत अबीमाकृत के लए छूट के अतर्क भी दया जा सकता है।

### C. वृषीय सहायता के लए योग्य मरुज के लए प्रभार पर सीमाएं

1. वृषीय सहायता के लए योग्य मरुज से वित्तगत रूप से आपात स्थित म और चकत्सकय तौर प आवश्यक अन्य देखभाल के लए AGB से ज्यादा और अन्य सभी चकत्सीय देखभाल हेतु लए जाने वाले सकल शुल्क से अधक प्रभार नहं लया जाएगा। संगठन "लुक-बैक" वध का इस्तेमाल करके और संगठन को दाव का भुगतान करने वाले Medicare सेवा-हेतु-शुल्क और सभी नजी स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को शांमल करके एक या अधक AGB क गणना 501(r) के अनुसार करता है।
2. AGB गणना ववरण और प्रतशत क एक मुफ्त प्रतलप संगठन क वेबसाइट से, 833-272-7585 प कॉल करके, [Ascensionfinancialassistance@Ascensionhealth.org](mailto:Ascensionfinancialassistance@Ascensionhealth.org) पर ईमेल भेजकर, या नम्र पर लखकर प्राप्त क जा सकती है:

ASCENSION Health PFS

### D. वृषीय सहायता और अन्य सहायता के लए आवेदन करना

एक मरुज वृषीय सहायता के लए प्रकिलपत स्कोरंग योग्यता के माध्यम से या एक पूरा FAP आवेदन जमा करके वृषीय सहायता के लए आवेदन करने से योग्यता प्राप्त कर सकता है। FAP आवेदन और FAP आवेदन नदश संगठन क वेबसाइट से, 833-272-7585 पर कॉल करके, [Ascensionfinancialassistance@Ascensionhealth.org](mailto:Ascensionfinancialassistance@Ascensionhealth.org) पर ईमेल भेजकर, या नम्र पर लखकर प्राप्त क जा सकती है:

ASCENSION Health PFS

संगठन म अबीमाकृत वित्त को वृषीय परामशर्दाताओं के साथ Medicaid या अन्य सार्वजनिक सहायता कार्यक्रम के लए आवेदन करने के लए काम करना होगा िसके लए मरुज वृषीय सहायता हेतु संभावित रूपसे पात्र माना जाता हो (प्रकिलपत स्कोरंग के माध्यम से पात्र और अनुमोदत नधारत होने के मामल को छोड़कर)। रोगी को वृषीय सहायता देने से मना कया जा सकता है यद रोगी FAP आवेदन म या प्रकिलपत स्कोरंग पात्रता प्रक्रया के संबंध म गलत जानकार प्रदान करता है, यद रोगी बीमा राश सपने या प्रदान कर्ष देखभाल के लए भुगतान करने हेतु बाध्य बीमा कंपनी से सीधे भुगतान प्राप्त करने के अकार को सपने से

नकारता है, या यह रोगी Medicaid या अन्य सावर्जनिक सहायता कार्यक्रम, जिसके लिए रोगी को वित्तीय सहायता के लिए संभावित रूप से योग्य माना गया हो (प्रकल्पित स्कोरिंग के माध्यम से पात्र और अनुमोदित नधारण होने के मामले को छोड़कर), म आवेदन करने के लिए वित्तीय परामर्शदाताओं के साथ काम करने से मना कर देता है। संगठन देखभाल के वर्तमान मामले के लिए पात्रता के संबंध में नधारण करते समय किसी भी पात्रता नधारण तथ से छः माह से कम क अवध से पहले पूर्ण कए गए FAP आवेदन पर वचार कर सकतहै। संगठन किसी भी पात्रता नधारण तथ से छः माह से ज्यादा क अवध में पूर्ण कए गए FAP आवेदन व वचार नहं करेगा।

#### E. बलंग और वसूल

भुगतान न करने क स्थित में संगठन द्वारा क जाने वाल कयर्वाह को एक अलग बलंग और वसूल नीत बतया गया है। बलंग और वसूल नीत क एक मुफ्त प्रतल संगठन क वेबसाइट से, 833-272-7585 पर कॉ करके, [Ascensionfinancialassistance@Ascensionhealth.org](mailto:Ascensionfinancialassistance@Ascensionhealth.org) पर ईमेल भेजकर, या नम्र पर लखकर प्राप्त क जा सकती है:

ASCENSION Health PFS

#### F. व्याख्या

वशेष रूप से सूचित मामल को छोड़कर सभी प्रयोज्य प्रक्रयाओं के साथ यह नीत 501(r) के अनुसार अनुपालन हेतु अभीष्ट है और इसक व्याख्या इस के अनुसार क जाएगी और यह नीत इसी के अनुसार लागू क जाएगी।

## संदर्भ

- Ascension प्रशासनिक नीत #600 – ज़रूरतमंद के लिए वित्तीय सहायता
- वित्तीय सहायता आवेदन पत्र
- वित्तीय सहायता नीत का सरल भाषा में सारांश
- वित्तीय सहायता नीत में शामिल और शामिल ना कए गए प्रदाताओं क सूची
- आमतौर पर बल क गई राश